न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./74/2022

रघुनाथ पुत्र नाहरसिंह जाति गुर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन जिला भतरपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1–पूरनदेई पत्नी छीतरिया जाति कोली नि0 सिंगनिया तह0 बयाना जिला भरतपुर।
2–प्रेमसिंह पुत्र बदनसिंह जाति हरिजन नि0 बारहमाफी तह0 उच्चैन जिला भरतपुर
3–श्रीराम पुत्र छीतरिया जाति कोली निवासी सिंगनिया तह0 बयाना जिला भरतपुर
4–सतीश कुमार पुत्र छीतरिया जाति कोली निवा0 सिंगनिया तह0 बयाना जिला भरतपुर
5–साहबसिंह पुत्र नत्थीसिंह जाति धोबी निवा0 वहरावली तह0 उच्चैन जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी0

6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन
7–भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर ! जाति गूर्जर निवासी बाहरमाफी तहसील
8–अमृत कौर पत्नी महेन्द्रसिंह ! उच्चैन जिला भरतपुर (राज.)
9–विजेन्दर कौर पत्नी रघुनाथसिंह !
10–सूरज पुत्र रघुनाथसिंह !

.....तरतीवी अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रूपवास श्री राजीव शर्मा व मुकदमा रघुनाथ बनाम राजस्थान सरकार आदि मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. प्रा.सं0 48/2022

———

उपस्थितः–
1–श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 30.11.2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक मुकदमा रघुनाथ बनाम राजस्थान सरकार नम्बर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

13/2022 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्र.स. 48/2022 उनवान रघुनाथ बनाम राजस्थान सरकार व अन्य) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास में विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबूझकर नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है जबकि नजदीक तारीख पेशी दिये जाने का कोई आधार भी नहीं है। इससे प्रार्थी को पूर्ण शंका हो गई है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्ध करेगें। अप्रार्थीगण का लगातार पीठासीन अधिकारी के साथ उठना बैठना हो रहा है। प्रार्थी को यह भी धमकी दी है कि उनकी अब पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है। प्रार्थी ने भी अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के पास आते जाते देखा है। इस लिये विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.ओ. रूपवास से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ शामिल मिसिल किया गया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी पत्र क्रमांक राजस्व/22/347 दिनांक 18.7.2022 शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि उसका प्रार्थना पत्र ही बहस में शुमार किया जावे हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने भी अपने जबाब में अंकित तथ्यों को ही बहस शुमार किये जाने प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं अप्रार्थी0 की ओर से प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया गया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके जुबानी आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर